

पत्र संख्या-सा०नि०क० 8-0-42189-6263-सा०पु०

बिहार सरकार
साहाय्य एवं पुनर्वासि विभाग

प्रेषक

श्री बी० के० शर्मा,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।सभी जिलाधिकारी ।

पटना, दिनांक 18 दिसम्बर 1989 ।

विषय—बाढ़ के समय सांप काटने एवं हवाई जहाज या हेली कोप्टर से सहाय्य सामग्री उतारने के सिलसिले में सामान का घर पर गिरने से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में ।

महालय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहा है कि बाढ़ के समय सांप काटने से एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में हवाई जहाज या हेलीकोप्टर से राहत सामग्री उतारने के सिलसिले में किसी के घर पर सामान के गिरने से हुई मृत्यु का केन्द्र सरकार सिद्धान्ततः प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु मानने के पक्ष में नहीं है। तत्संबंधी भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 4-8185 एस० आर०, दिनांक 9 नवम्बर 1989 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक मार्ग दर्शन हेतु संलग्न की जाती है ।

विश्वासभाजक,
बी० के० शर्मा,
उप-सचिव ।

ज्ञापक-1594।सहाय्य पटना

पटना, दिनांक 27/12/1989 ई० ।

प्रतिलिपि—सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, पटना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(ह०) अस्पष्ट,
जिला साहाय्य पदाधिकारी,
पटना ।